बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना में अनुदान राशि का लाभ उठायें

पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज सुखाने के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय स्थान प्रदान करना एवं गुणवत्ता और बाजार मूल्य को बढ़ाना है। इससे सुखाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाला नुकसान कम होगा एवं किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

उक्त योजना अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

Online आवेदन की प्रक्रिया

- पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
- DBT पोर्टल पर **(पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण हेतु आवेदन 2025–26)** लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन में आवश्यक सूचना एवं वांछित कागजात समर्पित करना होगा, आवेदन के लिए लाभुक के नाम से LPC/जमाबंदी/लगान रसीद होना अनिवार्य होगा।
- आवेदन के पश्चात् लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। चयन के पश्चात् सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन में अयोग्य पाये जाने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जायेगा।
- पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

➢ ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	--	05.07.2025 से 05.08.2025 तक
➢ ऑनलाईन लॉटरी की तिथि	–	06.08.2025
➢ सत्यापन की तिथि	–	09.08.2025 से 18.08.2025
➢ अंतिम चयन एवं कार्यादेश निर्गत करने की तिथि	–	22.08.2025

लागत एवं अनुदान दर

- पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण हेतु विनिर्देश (Specification) के अनुसार अनुमानित लागत रूपये 1,26,200/– (एक लाख छब्बीस हजार दो सौ) प्राक्कलित है जो विभिन्न प्रमंडलो/जिलों में भिन्न हो सकता है। **वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 50,000.00 (पचास हजार) रू० मात्र अनुदान** की राशि लाभुक कृषक के बैंक खाते में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतरण किया जायेगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर उपलब्ध पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना के कार्यान्वयन अनुदेश को देखा जा सकता है।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।